

पुष्पक,

संख्या- 1678/15-17-88-63/47/87

श्री सल0सस0 गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेक्रेडरी स्कूलान,
2/19, संत बिहार अंसारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग-17

लखनऊ दिनांक 25 मई, 1988

विषय:- महीष पतांजलि विद्या मंदिर, तेलियरगंज, इलाहाबाद को अनापीत प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह क्वे का निदेश हुआ है कि महीष पतांजलि विद्या मंदिर, तेलियरगंज, इलाहाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेक्रेडरी स्कूलान, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नीतिगत प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन आपीत नहीं है :-

§क§ सामान्य प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षक तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे उनका पालन संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

2/2/

- 2 -

§क§ विशेष प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रीबस्टर्ड होगी तथा समया-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
 - 2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्षा, दो वैकल्पिक विषय कक्षा, दो प्रयोगशाला कक्षा तथा चार प्रशासनिक कक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
 - 3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा-निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - 4- विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/ पंजीकों में रखा जायेगा।
 - 5- विद्यालय के अध्यापक/ अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों हेतु भविष्य निधि योजना लागू की जायेगी।
- 2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त - "अनापीत प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भावदीय,

§ सल0सस0 गौतम §
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1678/15-17-88-तदीनांक

- प्रतिनिधि निम्नीकृत को सूचनार्थ प्रेषित:-
- 1- शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, शिक्षा कार्यालय, लखनऊ।
 - 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।
 - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
 - 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
 - 5- प्रबन्धक, महीष पतांजलि विद्या मंदिर, तेलियरगंज, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

§ सल0सस0 गौतम §
संयुक्त सचिव।